

राजस्थान लोक अदालत न्याय अल्पके कार्य के तहत
 उपरोक्त पक्षों को सुनवाई हेतु नोडिब जारी होने
 के बाद पत्रावली आज राजस्थान लोक अदालत मंडल
 सेवा केंद्र गुणगुण अलीगढ़ पर पेश हुई।
 बाकी न २ व प्रतिकारी तथा उपस्थित दोनों पक्षों
 को सुना गया। दोनों पक्ष वादग्रस्त प्रकरणों में
 नवीन निर्माण नहीं करते तथा प्रमाणिकता
 बनाये रखने हेतु सहमत हो पत्रावली का
 प्रवलोकन किया गया। वादग्रस्त प्रकरणों पर न
 ३७३/१११ इनका ०-१५ जोड़ना
 उनके गुणगुण अलीगढ़ क्षेत्र में बंधन है और
 वादीपक्ष के तहत दर्ज हुआ है। दोनों पक्ष
 उपरत प्रकरणों में किसी प्रकार का नवीन निर्माण
 नहीं करने हेतु सहमत होने से दोनों पक्षों
 को ही पाबंद किया जाता है। न १ व उपरत
 प्रकरणों में किसी प्रकार का नवीन निर्माण
 कार्य नहीं करें। हमेशा न २ के सिधे प्रमाणिकता
 बनाये रखें। पत्रावली के अन्तर्गत दोनों पक्ष
 को कदम हो तथा दफ्तर दाखिल हो।

(क)
 उप खण्ड अधिकारी
 उमियारा